भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.905

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा

905. श्रीमती रीती पाठकः

श्रीमती केशरी देवी पटेलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उन टोल प्लाजा की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्होंने क्रमशः अपने राजमार्गों के निर्माण में आई लागत से अधिक राशि अर्जित/वसूल कर ली है;

(ग) क्या सरकार उन टोल प्लाजा को बंद करने पर विचार कर रही है जिन्होंने सड़क निर्माण की लागत अर्जित/वसूल कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कर प्रभारित कर सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण हेतु निधि जुटाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह धनराशि टोल प्लाजा वाली सड़कों हेतु उपयोग में लाई जाती है अथवा लाई जा सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) टोल प्लाजा द्वारा एकत्र किए जाने वाले टोल प्रभारों को निर्धारित करने वाले मापदंड क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे फीस प्लाजा की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-क** पर है। राज्जीय राजमार्ग राज्य का विषय है।

(ख) और (ग): किसी फीस प्लाजा ने संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय किए गए लागत से अधिक अर्जित/ वसूल नहीं किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि पूरी होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा 40% की कम दरों पर उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जाना होता है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के मामले में, परियोजना की पूंजीगत लागत की वसूली के बाद प्रयोगकर्ता शुल्क दरों को घटाकर 40% किया जाना है।

(घ) और (ड.): पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) तेल पर उपकर वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) अधिनियम, 2000 के प्रावधान के अनुसार लगाया गया है, जो है। अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार एकत्रित धनराशि फीस प्लाजा वाले रारा सहित, राष्ट्रीय राजमार्गों, जिसमें रारा अन्य सड़कों आदि के विकास और रखरखाव के लिए भी उपयोग की जाती है।

(च): राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क दरें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 और उसके संशोधन के अनुसार तय की जाती हैं। नियमों की प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट www.morth.nic.in पर उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा' के संबंध में श्रीमती रीती पाठक और श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा 21.11.2019 को पूछे गये राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 905 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	फीस प्लाजा की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	44
2	बिहार	19
3	छत्तीसगढ़	10
4	दिल्ली और ईपीई (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे)	11
5	गुजरात	34
6	हरियाणा	18
7	जम्मू और कश्मीर	06
8	झारखंड	06
9	कर्नाटक	43
10	केरल	04
11	मध्य प्रदेश	52
12	महाराष्ट्र	47
13	ईशान कोण	06
14	ओडिशा	12
15	पंजाब	22
16	राजस्थान	90
17	तमिलनाडु	54
18	तेलंगाना	15
19	उत्तर प्रदेश	62
20	उत्तराखंड	02
21	पश्चिम बंगाल	17
	कुल	**574**

*****